

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

इलाहाबाद एकेमी प्राथमिक विद्यालय  
करीमनगर, गोरखपुर।

पत्रांक/आशु लि०/ 6096-02

/02-03

दिनांक:- 12-9-02

विषय: अशासकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश सं०-217/15-6-92-18 (एस)दिनांक 15.11.92 एवं संशोधित राजाज्ञा सं०/217/15-6-92-एस/89 दिनांक 13.8.97 संशोधित राजाज्ञा सं०/2681/15-6-95-18 (एस) (7)89 दिनांक- जनवरी 98 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा 01 से 05 तक) बालिका विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 3 (तीन) वर्ग होंगे। अतिरिक्त उपवर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक / कर्मचारी अनुमन्य होंगे।

1. प्रधानाध्यापक - एक
  2. सहायक अध्यापक - चार (जिसमें त्रिभाष सूत्र योजनान्तर्गत सं०अ० संस्कृत भाषा विज्ञान, गणित के पद सम्मिलित हैं।)
  3. लिपिक - एक
  4. अनुचर - एक
- कुल सात पद अनुमन्य

इस प्रकार विद्यालय में कुल जनशक्ति सात की अनुमन्य होगी। जनशक्ति में त्रिभाषा ६ प्रसार ६ क्राफ्ट अध्यापक (जैसा आवेदन किया गया हो) सम्मिलित माने जायेंगे। त्रिभाषा अध्यापक के लिए अलग से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत पदों पर स्थायी रूप से चयन की कार्यवाही विज्ञापन की अनुमति प्राप्त कर तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित समिति को होगा।

भवदीय, 

(रवीन्द्र सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोरखपुर

12/9/02

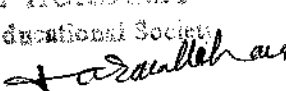
पृष्ठांक संख्या/आशुलि०/

/2002/2003

तददिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4. उ० बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

RELIANCE ACADEMY  
Muslim Girls Educational Society  
  
Secretary

  
Principal  
Reliance Academy  
Gorakhpur

(रवीन्द्र सिंह)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोरखपुर

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक

रिलायन्स एकेडमी जूनियर हाई स्कूल, करीमनगर,  
गोरखपुर।

पत्रांक/आशु लि०/ 3408-12

/07-08

दिनांक: 21-09-2007

विषय: अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 06 से 08 तक) की अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त शासनादेश सं०-217/15-6-92-18(एस)/दिनांक 15.11.92 एवं संशोधित राजाज्ञा सं०/217/15-6-92-एस/89 दिनांक 13.8.97 संशोधित राजाज्ञा सं०/2681/15-6-95-18(एस) (7)89 दिनांक-जनवरी, 98 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को (कक्षा 06 से 08 तक) बालक विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। इस प्रकार विद्यालय में कुल 3 (तीन) वर्ग होंगे। अतिरिक्त उपवर्ग की अनुमति तथा कक्षा संचालन हेतु पृथक से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

शासनादेश में निहित मानक के अनुसार आपके विद्यालय में निम्नलिखित शिक्षक/कर्मचारी अनुमन्य होंगे।

- |    |               |   |                                                                                               |
|----|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रधानाध्यापक | — | एक                                                                                            |
| 2. | सहायक अध्यापक | — | चार (जिसमें त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत स०अ० संस्कृत भाषा, विज्ञान, गणित के पद सम्मिलित हैं।) |
| 3. | लिपिक         | — | एक                                                                                            |
| 4. | अनुचर         | — | एक                                                                                            |

कुल सात पद अनुमन्य।

इस प्रकार विद्यालय में कुल जनशक्ति सात की अनुमन्य होगी। जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार/क्राफ्ट अध्यापक (जैसा आवेदन किया गया हो) सम्मिलित माने जायेंगे। त्रिभाषा अध्यापक के लिए अलग से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत पदों पर स्थायी रूप से चयन की कार्यवाही विज्ञापन की अनुमति प्राप्त कर तीन माह के भीतर पूर्ण किया जायेगा।

शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित समिति को होगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार मिश्र)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोरखपुर

पृष्ठांकन संख्या/आशु लि०/ /2007-08 तददिनांक।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
4. उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

RECEIVED  
MUSLIM G. I. S. ...  
Armanullah Khan  
Secretary

Gorakhpur

(मनोज कुमार मिश्र)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
गोरखपुर